



B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

Department of History

Topic : Alauddin Khilji's theory of kingship (PPT)

B.A. Part-2

Prepared by : Sri Pinku kumar

Asst. Professor (Dept. of History)

B.N. College Bhagalpur

Contact (whatsApp) no- 7982166260

Email id- kpinku348@gmail.com

अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धान्त

- ❖ सल्तनत कालीन सुल्तानों का शासन अत्यंत केन्द्रीकृत निरंकुश सिद्धान्तों पर आधारित था। इस समय की शासन व्यवस्था में सुल्तान ही मुख्य प्रशासक, सर्वोच्च न्यायधीश, सर्वाच्च नियामक और सर्वोच्च सेनापति होता था। परंतु सल्तनत काल के कुछ सुल्तानों जैसे- ग़यासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी आदि ने 'राजत्व सिद्धान्त' को अपने अनुसार व्याख्यायित किया। बलबन ने जिस निरंकुश 'राजत्व सिद्धान्त' की स्थापना की थी उसे अलाउद्दीन खिलजी ने ठोस आधार प्रदान किया।
- ❖ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजत्व सिद्धान्त में शासक के दैवी सदगुणों का दावा किया। वह शासक को देश के क़ानून से ऊपर मानता था। अलाउद्दीन ने शासक के पद को स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश बनाया तथा स्वयं 'यामिन-उल-खिलाफ़त' तथा 'नासिरी-अमी-उल-मौमनीन' की उपाधि धारण की।
- ❖ उसने अपने शासन की स्वीकृति के लिए ख़लीफ़ा की मंजूरी को आवश्यक नहीं समझा। अलाउद्दीन खिलजी के 'राजत्व सिद्धान्त' को निम्न शीर्षकों में बांट कर अध्ययन किया जा सकता है-

अलाउद्दीन खिलजी जिस समय सुल्तान के पद को धारण किया था उस समय उनके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी जिसके कारण उन्होंने कठोर एवं निरंकुश राजत्व सिद्धांत को अपनाया। उनके समक्ष उपस्थित कठिनाइयां निम्न थी –

- ❖ बलबन के पश्चात अमीरों एवं उलेमाओं के प्रभाव, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप तथा षड्यंत्रों से सुल्तान की प्रतिष्ठा भी नष्ट हो चुकी थी। अतः अलाउद्दीन के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सुल्तान के पद की महिमा एवं गौरव को पुनः स्थापित करने की थी।
- ❖ अलाउद्दीन खिलजी ने एक उदारवादी शासक की हत्या कर दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया था। अतः अपने इस कृत्य को एवं सिंहासनारोहण का औचित्य प्रमाणित कर जनता की सहानुभूति एवं स्वामीभक्ति प्राप्त करना अलाउद्दीन के लिए एक कठिन चुनौती थी।

पृष्ठभूमि -1

- ❖ उसने धन के बल पर अमीरों को अपने पक्ष में करके सत्ता हासिल किया था। अतः अमीरों की शक्ति एवं उसकी महत्वाकांक्षा पर भी अंकुश लगाना उसके लिए एक चुनौती थी। साथ ही राज्य की प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी थी।
- ❖ तात्कालिक समय में दक्षिण भारतीय शक्तियां दिल्ली के सुल्तान को कोई महत्त्व नहीं देती थी। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य स्वतंत्र स्थिति में थे। इन्हीं कठिनाइयों के प्रकाश में अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व सिद्धांत एवं साम्राज्य विस्तार को समझा जा सकता है।

राजत्व सिद्धांत के पहलू

- ❖ बलबन की तरह अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व सिद्धांतों की कभी व्याख्या नहीं की। अलाउद्दीन के विचार अलग-अलग परिस्थितियों एवं संदर्भों में प्रस्तुत किए गए हैं। इन सब के आधार पर ही उसके राजत्व सिद्धांत की व्याख्या की जाती है, जिसे अमीर खुसरो एवं बरनी की रचनाओं से जाना जा सकता है। उसके राजत्व सिद्धांत का संबंध मूल रूप से तीन पहलूओं से है- शासक की निरंकुशता, धर्म और राजनीति का पृथक्करण और साम्राज्यवाद।

निरंकुश राजतंत्र पर बल

- ❖ अलाउद्दीन सुल्तान की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता का महान पोषक था। राज्य का सर्वेसर्वा सुल्तान ही था। उसकी इच्छा ही राज्य की कानून थी। अलाउद्दीन ने बलबन द्वारा प्रस्तुत निरंकुशता के सिद्धांत को और प्रबल बना दिया। बलबन ने शासक को ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात 'जिल्ल-ए-इलाही' घोषित किया था परंतु अलाउद्दीन ने शासक की सत्ता को सर्वोपरि बनाया।
- ❖ वह अपने अधिकारी का किसी भी तरह के नियंत्रण मानने को तैयार नहीं था। जिस किसी ने भी उसका विरोध किया अथवा उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, सुल्तान द्वारा उसे कठोर दंड दिया गया।
- ❖ अलाउद्दीन का मानना था कि सत्ता का स्रोत शक्ति में निहित था। शासक न तो ईश्वर की अनुकंपा से सिंहासन प्राप्त करता है, न जनता की इच्छा से और न ही उलेमा अथवा सामंतों के सहयोग से। वह शक्ति से सत्ता पर अधिकार करता है और जब तक वह शक्तिशाली रहता है तब तक उसकी सत्ता बनी रहती है।

निरंकुश राजतंत्र पर बल-1

- ❖ उसने अपने शासन सुधारों को सैनिक निरंकुशता का आधार प्रदान किया। सुल्तान इतना निरंकुश था कि उसके सामान आधुनिक एवं मध्य युग में कोई अन्य नहीं था। मुस्लिम निरंकुशता उसके शासनकाल में चरम सीमा तक पहुंच गई थी।
- ❖ अलाउद्दीन ने बलबन की भांति ही ताज की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने के लिए राजा के दैवी अधिकारों की धारणा में विश्वास प्रकट किया। उसने कहा कि सम्राट का शब्द ही देश का कानून है और उसका न्याय ही ईश्वर का न्याय है। सम्राट के प्रत्येक आदेश और उसकी प्रत्येक इच्छा को सभी को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करना चाहिए।
- ❖ अलाउद्दीन ने यह विचार प्रकट किया कि राजा का कोई संबंधी नहीं होता और राज्य के सभी निवासी उसके सेवक अथवा प्रजा होते हैं। अतः राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना प्रजा का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अलाउद्दीन ने इस सिद्धांत के आधार पर ही अपने राज्य के अमीरों और सरदारों की शक्ति को इतना कुचल दिया कि किसी को उसके सामने बोलने का साहस ही नहीं रहा।
- ❖ उसने बलबन की भांति सरदारों को शक्तिहीन बनाने के लिए अनेक कानून बनाए जिनके द्वारा उसकी संपत्ति छीन ली गई और उनके आपस में मिलने जुलने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए।

धर्म और राजनीति का पृथक्करण

- ❖ अलाउद्दीन ने बलबन के विपरीत राजनीति और धर्म को पृथक कर दिया। उसने यह मत प्रकट किया कि राजनीति के क्षेत्र में धर्म का हस्तक्षेप अनुचित व अवांछित है। राज्य के नियम राजा की इच्छा पर निर्भर करते हैं और राजा मुस्लिम काजियों या उलेमा वर्ग के निर्देशन से बाध्य नहीं है। राजनीति और प्रशासन में सुल्तान को मुस्लिम आचार्यों, मुल्लाओं और उलेमा वर्ग के लोगों का हस्तक्षेप स्वीकृत नहीं था। इसके पूर्व के सुल्तान उलेमा वर्ग के लोगों के परामर्श पर ही अपनी नीति का निर्धारण करते थे। अतः सुल्तान के अधिकारों पर वह इस वर्ग के हस्तक्षेप और नियंत्रण का घोर विरोधी था।
- ❖ उसकी यह दृढ़ धारणा थी कि शासन संचालन अथवा विधि निर्माण सुल्तान का कर्तव्य है और यह उसकी इच्छा पर अवलंबित है। प्रशासन में वह धर्माधिकारियों द्वारा निर्देशित शासन व्यवस्था का समर्थक नहीं था। शासन व्यवस्था में वह सुल्तान को सर्वोपरि मानता था। इस प्रकार उसने धर्म और राजनीति दोनों को पृथक कर दिया।
- ❖ अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर नियंत्रण स्थापित किया और ऐसे तत्वों को जन्म दिया, जिससे कम से कम सैद्धांतिक राज्य असांप्रदायिक आधार पर खड़ा हो सकता है।

धर्म और राजनीति का पृथक्करण-1

- ❖ अलाउद्दीन ने अपने राजत्व सिद्धांत द्वारा यथार्थतः किसी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना नहीं करनी चाही थी। मध्यकालीन भारतवर्ष के मुस्लिम सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला व्यक्ति था, जिसने राजनीति में धर्म के प्रभुत्व को गौण कर दिया था।
- ❖ अलाउद्दीन के इस सिद्धांत का पूर्ण स्पष्टीकरण काजी मुगीसुद्दीन के साथ सुल्तान के उस वार्तालाप से हो जाता है, जिसमें उसने कहा था कि 'मैंने कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है और न ही मैं शिक्षित हूँ किंतु कई पीढ़ियों से मुसलमान हूँ तथा मुसलमान का पुत्र हूँ। विद्रोहों का दमन करने के लिए जो कुछ भी राज्य के हित में एवं प्रजा के लिए कल्याणकारी समझता हूँ, वही आदेश लोगों को देता हूँ। मैं नहीं जानता कि यह वैध है या अवैध। राज्य के हित में जो भी मुझे ठीक एवं उचित जान पड़ता है अथवा आपत्ति काल में मुझे देश के लिए जो उचित और अनुकूल जान पड़ता है। मैं वही आज्ञा देता हूँ। कयामत के दिन इसका क्या होगा या इसके लिए ईश्वर मुझे क्या दंड देगा, इसकी मुझे चिंता नहीं है।'

खिलजी साम्राज्यवाद

- अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजत्व सिद्धांत में साम्राज्य विस्तार को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस संदर्भ में अमीर खुसरो ने उसके विचारों की अभिव्यक्ति दी है। इसके अनुसार साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है उसका कोई अंत नहीं है। वास्तव में विजेता वही है जो विजय अभियान के क्रम को सदैव बनाए रखें। इस संदर्भ में उसने विश्व विजय की बात कही।
- अलाउद्दीन के अनुसार राज्य को अपना विस्तार करना और संसाधनों में वृद्धि करना अनिवार्य है। जो राज्य ऐसा नहीं करता वह अंततः कमजोर होकर पराजित हो जाता है। इसी सिद्धांत ने अलाउद्दीन को साम्राज्यवादी विस्तार के लिए भी प्रेरित किया।
- विजय करने के साथ-साथ विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए शासक को प्रशासनिक सुधार करना चाहिए। अलाउद्दीन के तमाम सुधार जैसे- सैन्य सुधार, भू-राजस्व सुधार आदि इसी दृष्टिकोण से प्रेरित थे।
- अलाउद्दीन ने राजनीति में धन के महत्व को भी स्थान दिया। उसे पता था कि धन एक ऐसी शक्ति है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। धन का उदारतापूर्वक वितरण कर उसने राजत्व को सुरक्षित एवं सुसंगठित कर लिया।

अन्य तत्व

❖ यद्यपि अलाउद्दीन ने उस युग के अधिकांश मुस्लिम शासकों की तरह अपने राज्य और अधिकारों के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। परंतु वह अपने को खलीफा के अधीन नायक समझता था। ऐसा करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य खलीफा के प्रति राजनीतिक अथवा धार्मिक प्रमुख के रूप में सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शित करना नहीं था, बल्कि यह केवल सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना चाहता था।

निष्कर्ष :

❖ उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महान शासक था, जिसने राजनीति व शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी दूरदर्शिता और मौलिकता प्रदर्शित की। उसका राजत्व का सिद्धांत भी उसकी मौलिकता और योग्यता का सुंदर प्रमाण है। अलाउद्दीन का राजत्व का सिद्धांत बड़ा ही सामयिक और दूरदर्शितापूर्ण था। रक्त और तलवार के उस युग में अलाउद्दीन ने इस सिद्धांत को आधार बनाकर शासन किया और सैन्य शक्ति व कूटनीति के बल पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की।